

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदायकेन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

विषय:- कुसुम पब्लिक स्कूल ग्राम-दशरथपुर सकौती मेरठ को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मोग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली/कॉसिल आफ डि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

—2—

Om

Principal
Kusum Public School
Dashrathpur, NH-58
Meerut

KUSUM PUBLIC SCHOOL

Chander
MANAGER

- 2-
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर गान्धीजीक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमत्य सेवा निवृति का सम्भव कराये जायेंगे ।
 - (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
 - (8) विद्यालय का रिकाई निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
 - (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुभूदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनियार्थ होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथितता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

अवधीय,

(बाबू राम)
अनु सचिव ।


प्र०प्र०- 748(1)/15-7-2006 तारीखीक

प्रतिलिपि निष्ठालिखित को सूचनार्थ पर्व आवेदनक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- 1- शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक,आग्न मार्गीय विद्यालय इ०प्र०,लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, कुमुम पञ्चक स्कूल ग्राम-दशरथपुर सक्रीयी मेरठ ।
- 6- गाड़ बुक ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव ।


 Principal
 Kusum Public School
 Dashrathpur, NH-58
 Meerut

KUSUM PUBLIC SCHOOL


 MANAGER